

राजस्थान -सरकार
निदेशालय चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवाये,राजस्थान जयपुर।
 क्रमांक / नर्सिंग / नर्स-2 / एसीपी-पार्ट-1 / ए-1 / 2017 / दिनांक:-

आदेश

राज्य सरकार के आदेश क्रमांक एफ0 11(07) एफ.डी./नियम/2008 दिनांक 12.09.08 एवं एफ.14 (1) एफ.डी. (नियम)/2013-11 दिनांक 28.06.13 में उल्लेखित प्रावधानों को दृष्टिगत रखते हुए निम्नांकित नर्स-2 जिन्होंने 09, 18 एवं 27 वर्ष की राज्य सेवा पूर्ण कर ली है, को उनके नाम के सम्मुख अंकित तिथि से आशास्वित कैरियर प्रगति (एसीपी) स्वीकृत की जाती है -

क. स.	कर्मचारी का नाम एवं पद	पदस्थापन जिला	प्रथम नियुक्ति तिथी	दिनांक एवं पूर्ण सेवावधि	देय पे बन्ड/च. वेतनमान	देय पे ग्रेड
1	श्री महिपाल सिंह	बीकानेर	04.04.08	04.04.17 9 वर्ष	9300-34800	4800
2	श्री अशोक कुमार शर्मा	बीकानेर	04.04.08	04.04.17 9 वर्ष	9300-34800	4800

नोट:-दिनांक 1.6.2002 के पश्चात यदि किसी कार्मिक के तीसरी संतान हुई है तो यह आदेश उन पर लागू नहीं होगा।



(राकेश शर्मा)

अतिरिक्त निदेशक(प्रशासन)
 चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाये
 राजस्थान जयपुर।

क्रमांक: ई-11/नर्स-2/एसीपी-पार्ट-1/ए-1/2017/388

दिनांक: 20/06/201

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

- 1.सम्बन्धित संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाये, जोन,।
- 2.सम्बन्धित अधीक्षक/मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी।
- 3.मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डूंगरपुर को उनके पत्रांक 602 दिनांक 01.03.2017 के क्रम में श्री महेश चन्द्र चौबीसा, नर्स-2 का 27 वर्षीय एसीपी प्रकरण लौटाकर लेख है कि कार्मिक के विरुद्ध विभागीय जाँच विचाराधीन होने के कारण एसीपी स्वीकृत नहीं किया जा सकता है।
- 4.मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी भरतपुर को उनके पत्रांक 1430 दिनांक 07.03.17 के क्रम में श्री खिम्मों सिंह मेल नर्स द्वितीय का 18 वर्षीय एसीपी प्रकरण लौटाकर लेख है कि कार्मिक की एक वार्षिक वेतन रोके जाने के संबंध में जारी दण्डादेश व उक्त के बहाली आदेश के संबंध में पुनः समीक्षा कर प्रकरण भिजवावें का श्रम करावें।
- 5.सम्बन्धित खण्ड मुख्य चिकित्सा अधिकारी।
- 6.सम्बन्धित चिकित्सा अधिकारी प्रभारी।
- 7.डिलिंग क्लर्क नर्स- प्रथम मुख्यालय को श्री नरेन्द्र कुमार यादव नर्स प्रथम का 27 वर्षीय एसीपी प्रकरण मय विभागीय जाँच रिपोर्ट के संलग्न प्रेषित है।
- 8.प्रभारी सर्वर रूम मुख्यालय को विभागीय वैबसाईट पर प्रकाशित करने हेतु।
- 9.आदेश पत्रावली।



(राकेश शर्मा)

अतिरिक्त निदेशक(प्रशासन)
 चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाये
 राजस्थान जयपुर।